न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

रैयती अपील वाद संख्या–22/2017–18

अरूण कुमार बनाम **राज्य**

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
22/11/18	**आदेश** यह अपील बकास्त/गैरमजरूआ मालिक भूमि रैयती अभिलेख सं0 34बी0/2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–08.11.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है। **आवेदक का कहना है कि** (1) बिहटा अंचल अंतर्गत मौजा विशम्भरपुर थाना नं0 57 खाता नं0 414 खेसरा नं0 637 रकवा 98डी0 सर्वे खतियान में बकास्त ब्रहमोतरदार बकब्जे बेनी दूबे वो जानकी दूबे वो रघुवर दूबे दर्ज है। (2) वस्तुतः खाता नं0 413, खेसरा नं0 637 रकवा 15.5 डी0 जमीन अपीलार्थी अरूण कुमार, पिता रामनाथ प्रसाद वो चन्द्र भूषण कुमार, पिता गोपी नाथ साव, द्वारा दिनांक–03.02.1973 के केवाला से कवीन्द्र नाथ दूबे वो देवेन्द्र नाथ दूबे पेसरान राम प्रसाद दूबे से खरीदी गयी । (3) पुनः खाता नं0 413, खेसरा नं0 637 रकवा 16डी0 अरूण कुमार, पिता रामनाथ प्रसाद वो चन्द्र भूषण प्रसाद, पिता गोपीनाथ प्रसाद के द्वारा दिनांक–12.01.1970 के केवाला से राधा देवी जौजे लालधारी दूबे से खरीदी गयी। (4) उपर्युक्त दिनांक–03.02.1973 एवं 12.01.1970 के दोनों केवालों में गलती से खाता सं0 413 अंकित हो गया है, जबकि वास्तविक खाता सं0 414 है। (5) खरीदगी के पश्चात क्रेतागण प्रश्नगत भूखण्ड पर शांतिपूर्ण दखल में है। अरूण कुमार के नाम से जमाबंदी सं0 29/132 तथा चन्द्र भूषण वो अरूण कुमार के नाम से जमाबंदी सं0 138/1 कायम है। राजस्व रसीद एवं भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र निर्गत है। (6) सर्वे खतियान में प्रश्नगत खाता सं0 414 मूलतः बकास्त ब्रहमोतर दर्ज है तथा बकब्जे बेनी दूबे वो जानकी दूबे वो रघुवर दूबे का नाम अंकित है। खतियानी रैयत के वंशजों के द्वारा वर्ष 1970 एवं 1973 के निबंधित केवालों के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड अपीलार्थी को बिक्री की गयी। (7) प्रश्नगत भूखण्ड का अर्जन बिहटा सैन्य हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु किया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड पर रैयती दावा घोषित करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में रैयती वाद सं0 34बी0 वर्ष 2017–18 लाया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए प्रश्नगत भूखण्ड को सरकारी घोषित कर दिया गया, जो रद्द करने योग्य है। **अपीलार्थी के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।** (1) दिनांक–03.02.1973 का केवाला	

(2) दिनांक–12.01.1970 का केवाला
(3) भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र
(4) वर्ष 1990–91 एवं उसके बाद के वर्षो की लगान रसीद
(5) देवेन्द्र नाथ दूबे का वंशावली संबंधी शपथ–पत्र
(6) राधा देवी का वंशावली संबंधी शपथ–पत्र
(7) अरूण कुमार का वंशावली संबंधी शपथ–पत्र
(8) सर्वे खतियान

राज्य सरकार की तरफ से सहायक सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि

(1) प्रश्नगत भूखण्ड बकास्त ब्रहम्तोरदार है, जो पूजा पाठ के लिए दी गयी थी। इसको बिक्री करने का अधिकार नहीं था।

(2) जमीन्दारी उन्मूलन के समय प्रश्नगत भूखण्ड किसके दखल–कब्जा में थी, इसका कोई साक्ष्य नहीं है।

(3) अपीलार्थी के बिक्रेता की जमाबंदी कायम होने का कोई साक्ष्य नहीं है।

(4) अपीलार्थी के द्वारा खाता सं0 413 से संबंधित केवाला, भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र एवं लगान रसीद की छाया–प्रति दाखिल की गयी है, जबकि यह मामला खाता सं0 414 से संबंधित है। अपीलार्थी के कथनानुसार केवाला में खाता सं0 गलत अंकित हो गया है, तो इसके लिए अपीलार्थी को निबंधन कार्यालय में शुद्धि पत्र हेतु आवेदन दिया जाना चाहिए।

(5) वाद सं0 34बी0/2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है तथा अपीलार्थी का दावा रद्द करने योग्य है।

उभय पक्ष को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के परिशीलन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत भूखण्ड बकास्त ब्रहम्तोरदार है, जो पूजा पाठ हेतु भूतपूर्व मध्यवर्ती के द्वारा दिया गया होगा। अपीलार्थी वर्ष 1970 एवं 1973 के केवाला के आधार पर दावा कर रहे है, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि जमीन्दारी उन्मूलन के समय प्रश्नगत भूखण्ड किसके दखल कब्जा में थी। वर्ष 1970 एवं 1973 का कवेाला खाता सं0 413 से संबंधित है। जमीन्दारी उन्मूलन के वर्ष की कोई लगान रसीद भी संलग्न नहीं की गयी है। अपीलार्थी के बिक्रेता के नाम से भी जमाबंदी कायम होने का कोई साक्ष्य नहीं है। अतः बकास्त/गैरमजरूआ मालिक भूमि रैयती अभिलेख सं0 34बी/2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–08.11.2017 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अस्वीकृत की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

21/11/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

21/11/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना